चुनावी सुधारों पर एक स्वागत योग्य चर्चा

लेखक -एस. वाई. कुरैशी (भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

12 जुलाई, 2019

"पिछले सप्ताह संसद में विपक्षी दलों द्वारा कई व्यावहारिक और रचनात्मक प्रस्ताव उठाए गए थे।"

3 जुलाई को, राज्यसभा में चुनावी सुधारों पर एक छोटी अवधि की चर्चा ने मेरा (लेखक) ध्यान आकर्षित किया है। इसकी शुरुआत तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने की, जिनके समर्थन में 14 विपक्षी दल शामिल थे। मैं खुद भी अपने पूरे कार्यालय में इस मुद्दे को लेकर बेहद चिंतित रहा हूं और मुझे खुशी है कि अब राजनीतिक दल भी अपने वैचारिक विभाजन के साथ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को कैसे अंजाम दिया जाए।

टीएमसी सांसद ने छह प्रमुख मुद्दों को उठाया अर्थात् चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के लिए नियुक्ति प्रणाली; धन शक्ति; इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम); एक साथ चुनावों का विचार; सोशल मीडिया की भूमिका; और अंत में, सरकारी डेटा का उपयोग एवं मतदाताओं के कुछ वर्गों को लक्षित करने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेना।

नियुक्ति प्रक्रिया

चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के मुद्दे पर, श्री ओब्रायन ने बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में कहे गये कथनों का सहारा लिया कि "यदि किसी मूर्ख या अनुभवहीन या ऐसा व्यक्ति, जो कार्यपालिका के अंगूठे के नीचे है, को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है, तो कार्यकाल को एक निश्चित और सुरक्षित कार्यकाल नहीं बनाया जा सकता है।"

इस मुद्दे पर फिर से विचार करने की मांग को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (CPI-M)_ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने समर्थन दिया और साथ ही सभी ने एक कॉलेजियम प्रणाली शुरू करने की मांग की। जैसा कि धन शक्ति के गंभीर प्रभाव की पुरानी समस्या के संबंध में, श्री ओब्रायन ने विभिन्न रिपोर्टों और दस्तावेजों के बारे में बात की, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1962 का निजी सदस्य का बिल; चुनाव सुधारों पर गोस्वामी समिति की रिपोर्ट (1990); और इंद्रजीत गुप्ता समिति ने चुनावों के राज्य वित्त पोषण पर रिपोर्ट (1998) शामिल थी। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने जून में जारी किए गए चुनाव खर्च पर एक स्वतंत्र थिंक टैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में संशोधन करने और कॉर्पोरेट दान पर 7.5% कैप को हटाने के प्रतिगामी प्रभाव पर चर्चा की।

कांग्रेस सांसद राजीव गौड़ा ने चुनावी बॉन्ड को "एक बड़ा मामला" करार दिया और एक राष्ट्रीय मतदाता निधि या संबंधित पार्टियों द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के आधार पर राज्य के वित्तपोषण (राजनीतिक दलों के) के लिए एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने छोटे दान के रूप में क्राउड फंडिंग का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों पर वर्तमान व्यय कैप अवास्तविक है और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए या तो इसे बढ़ाया जाना चाहिए या हटाया जाना चाहिए।

बीजू जनता दल (BJD) ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा-77 पर उच्चतम न्यायालय के 1975 के फैसले के अनुसार राजनीतिक दलों के खर्च का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी (सपा) ने सुझाव दिया कि व्यय निजी विमानों आदि को उम्मीदवारों के खातों में जोड़ा जाना चाहिए, न कि पार्टी के खातों में। कॉर्पोरेट दान को प्रतिबंधित करने की सीपीआई और सीपीआई(एम) द्वारा उत्साहपूर्वक वकालत की गई थी।

मतपत्रों की वापसी का पुराना मुद्दा कई दलों ने उठाया था। टीएमसी ने कहा कि 'जब प्रौद्योगिकी पूर्णता की गारंटी नहीं देती है,

तो प्रौद्योगिकी पर सवाल उठना लाजमी है।' दूसरी ओर, बीजू जनता दल (यूनाइटेड) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दावा किया कि ईवीएम ने बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव संबंधी हिंसा को कम कर दिया है। बीजेडी ने कहा कि मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल्स में जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए शुरुआत में पांच मशीनों को सही गिना जाना चाहिए। बीएसपी ने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मतपत्रों की गिनती से पहले स्कैन किया जाना चाहिए।

एक साथ चुनाव पर

कई बीजेपी सांसदों ने चुनावी थकान, खर्च और शासन से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला और चुनाव आयोग एवं नीति आयोग की रिपोर्ट में व्यक्त एक साथ चुनाव का समर्थन किया।

भाजपा के विनय सहस्रबुद्धि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए और सुझाव दिया कि इसे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के बजाय चुनाव के न्यूनतम चक्र के रूप में समझा जाना चाहिए।

लेकिन टीएमसी ने कहा कि समाधान संवैधानिक विशेषज्ञों से परामर्श करने और अधिक विचार-विमर्श के लिए एक श्वेत पत्र प्रकाशित करने में निहित है। सीपीआई सांसद डी. राजा ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक और अवास्तविक बताया। अंबेडकर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जवाबदेही स्थिरता पर प्रधानता होनी चाहिए। राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का भी एक-दो वक्ताओं ने उल्लेख किया। बीजू जनता दल ने सुझाव दिया कि एक स्वतंत्र नियामक को आंतरिक पार्टी लोकतंत्र की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य होना चाहिए।

चुनावों की प्रतिनिधित्व क्षमता में सुधार के लिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग को DMK, CPI और CPI (M) ने आगे रखा। डीएमके ने 2014 के लोकसभा चुनावों में बीएसपी के प्रदर्शन का उदाहरण दिया, जब पार्टी को उत्तर प्रदेश में लगभग 20%, लेकिन शून्य सीटों पर वोट शेयर मिला था। कई सांसदों ने एक मिश्रित प्रणाली के लिए तर्क दिया, जहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोनों के लिए प्रावधान था।

'मतदाता सूची की निष्ठा' का महत्वपूर्ण मुद्दा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) द्वारा उठाया गया था। लोकतंत्र के तीनों स्तरों के लिए एक आम मतदाता सूची का विचार भाजपा और सपा द्वारा समर्थित था।

चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी के लाभ को याद दिलाने के लिए, सपा सांसद राम गोपाल यादव ने एक कट्टरपंथी सुझाव दिया कि सभी सांसदों/विधायकों को चुनाव से छह महीने पहले इस्तीफा दे देना चाहिए और केंद्र में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों को राज्यपाल द्वारा शासित किया जाना चाहिए, जिन्हें तीन सदस्यीय उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड की बाध्यकारी सलाह का पालन करना होगा।

वर्षों से वकालत

मैं लंबे समय से इन सुधार सिफारिशों का समर्थक रहा हूं। कुछ प्रस्ताव, जो मैंने पूरे साल में विस्तार से बताए हैं, उनमें शामिल हैं - अधिक सुरक्षा बलों को बढ़ाकर चुनावी चरणों की संख्या को कम करना; एक व्यापक-आधारित कॉलेजियम के माध्यम से आयुक्तों की नियुक्ति करके संवैधानिक नियुक्तियों का अराजनीतिकरण करना; राष्ट्रीय चुनावी कोष के माध्यम से या प्राप्त मतों की संख्या के आधार पर राजनीतिक दलों का राज्य वित्त पोषण; राजनीतिक दलों के खर्च का दोहन; भारत के चुनाव आयोग (ECI) को पुनर्मिलनशील राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने की शक्तियाँ देना; आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समावेश; और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का पुनरीक्षण करते हुए सोशल मीडिया विनियमों को मजबूत करना।

लेकिन भारतीय राजनीति विचार और कार्रवाई के बीच व्यापक अंतर से पीड़ित रही है। सरकारों को भी चुनावी लाभ के अपने जुनून से ऊपर उठना चाहिए और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचना चाहिए। टीएमसी सांसद ने सही कहा कि चुनावी सुधारों पर संसद को न केवल 'बहस और विचार-विमर्श करना चाहिए, बल्कि इस पर कानून भी बनाना चाहिए।'

अब समय आ गया है कि राष्ट्रहित में ठोस समाधान तलाशे जाएं और उन्हें लागू किया जाए। पिछले सप्ताह राज्यसभा में उठाए गए कई व्यावहारिक और रचनात्मक प्रस्तावों को सुनने के बाद, मुझे उम्मीद है कि भारतीय संसद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे महान बनाने में सक्षम होगी।

CS World
Committed To Excellence

'एक देश, एक चुनाव'

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव के मुद्दे पर विचार करने लिए एक समिति की गठित की जाएगी, जो निश्चित समय-सीमा में अपनी रिपोर्ट देगी।
- इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी।
- विधि आयोग ने पिछले साल अगस्त में 'एक देश, एक चुनाव' के नियम को लागू करने के लिए लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल वाले संविधान के अनुच्छेद-83 (2) और अनुच्छेद-172 (1) में संशोधन और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम लाने का सुझाव दिया था।
- 'एक देश, एक चुनाव' नया नहीं है। साल 1952, 1957, 1962, 1967 में एकसाथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं।
- लेकिन यह सिलसिला 1968-69 में तब टूट गया, जब कुछ राज्यों की विधानसभाएं वक्त से पहले ही भंग हो गईं।

आवश्यक क्यों?

- स्थिरता और आर्थिक विकास प्रभावित
- आदर्श आचार संहिता का मुद्दा
- सुरक्षा का मुद्दा
- **चुनाव:** एक अविराम प्रक्रिया

पक्ष में तर्क

- चुनावों पर होने वाले भारी व्यय में कमी
- चुनावों में होने वाले काले धन के प्रवाह पर अंकुश लगेगा
- कर्मचारियों के प्राथमिक दायित्वों का निर्वहन
- लोगों के सार्वजनिक जीवन में कम होंगे व्यवधान
- सीमित आचार संहिता के कारण सक्षम प्रशासन
- सांसदों और विधायकों का कार्यकाल एक ही होने के कारण उनके बीच समंवय बढ़ेगा।

विपक्ष में तर्क

- संवैधानिक प्रावधान की कमी
- नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था का लोप संभव
- संघीय ढाँचे के विरुद्ध
- चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्राप्त होता है। एक साथ चुनाव न कराए जाने से बेरोजगारी में वृद्धि होगी।
- यदि किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इन परिस्थितियों में भी चुनाव आवश्यक हो जाता है।
- देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिये पर्याप्त संख्या में अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।
- एकीकृत चुनावों में राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है।

Committed To

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **'एक देश, एक चुनाव' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. 'एक देश, एक चुनाव' के नियम को लागू करने के लिए अनुच्छेद-83(2) और अनुच्छेद-172(1) में संशोधन करना पड़ेगा।
2. अब तक 4 बार एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो चुका है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **In the context of 'One Nation, One Election', consider the following statements-**

1. For implementing 'One Nation, One Election' Article-83(2) and Article- 172(1) have be amended.
2. Four times the elections of Lok Sabha and legislative Assemblies have been conducted simultaneously till now.

Which of the above statement is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्नः हाल ही में चुनाव सुधार के सन्दर्भ में विपक्षी दलों द्वारा छह प्रमुख मुद्दों को उठाया गया। इन मुद्दों की चर्चा करते हुए अपना मत प्रकट कीजिए। (250 शब्द)

Q. Recently Opposition parties have raised six main issues related to election reform, discussing the issues, present your opinion. (250 Words)

नोट : 11 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।

Comi